झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–356 / 2019

कामदेव यादव उर्फ मुकेश प्रसाद यादव, उम्र लगभग 48 वर्ष, पे0 स्वर्गीय शशि महतो, निवासी ग्राम–चांदपुर, डाकघर–बेलाबगान, थाना–जसीडीह, जिला–देवघर

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, देवघर, डाकघर और थाना–देवघर, जिला–देवघर
3. पुलिस अधीक्षक, देवघर, डाकघर और थाना–देवघर, जिला–देवघर
4. अतिरिक्त कलेक्टर, देवघर, डाकघर और थाना–देवघर, जिला–देवघर
5. जिला मत्स्य अधिकारी, देवघर, डाकघर और थाना–देवघर, जिला–देवघर
6. अंचलाधिकारी, देवघर, डाकघर और थाना–देवघर, जिला–देवघर
7. प्रभारी अधिकारी, देवघर टाउन पुलिस स्टेशन, देवघर, डाकघर और जिला–देवघर

..... विपक्षी पार्टियाँ

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए : श्री साहिल, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्रीमती चिताली सी0 सिन्हा, ए0ए0जी0 के ए0सी0

03 / 06.12.2019 डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 2400 / 2013 में पारित आदेश बहुत स्पष्ट है। रिट कोर्ट ने निम्न के रूप में कहा हैः

''5. वर्तमान कार्यवाही में दलीलों से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने लगभग 2 कट्ठा भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार, स्वत्व, हित और कब्जे का दावा किया है, जबकि, उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि उक्त भूमि जलसर टैंक का हिस्सा है जो एक खास टैंक है जो तत्कालीन बिहार राज्य में निहित है। जवाबी हलफनामे में उत्तरदाताओं ने दावा किया है कि जलसर टैंक देवघर शहर की जीवन रेखा है। हालांकि, मैं पाता हूँ कि उत्तरदाताओं ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि उक्त भूमि लंबे समय से याचिकाकर्ता के कब्जे में है। चूंकि उक्त भूमि पर स्वत्व हेतु एक गंभीर विवाद उत्पन्न हुआ है, इसलिए मेरा विचार है कि वर्तमान कार्यावाही में उक्त मुद्दे को न्यायनिर्णीत नहीं किया जा सकता है। दिनांक 08.05.2013 के आदेश द्वारा पार्टियों को 08.05.2013 के अनुसार मौजूदा यथास्थिति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं द्वारा हटाये जाने/बेदखल करने की शिकायत नहीं की है। चूंकि उत्तरदाताओं ने उक्त भूमि पर याचिकाकर्ता के कब्जे को विवादित नहीं किया है, इसलिए यह रिट याचिका उत्तरदाताओं को व्यवहार न्यायालय और/या विधि सम्मत उचित कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता के साथ निपटा दी गई है। दिनांक 08.05.2013 के आदेश की पुष्टि की गई है, हालांकि, उत्तरदाताओं द्वारा, यदि कोई हो, दायर मामले में निर्णय के अधीन होगा। यह आगे स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा।

यचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1271/2018 और डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 6248/2017 में पारित आदेश का हवाला देते हुए यह बताने की कोशिश की है कि राज्य ने याचिकाकर्ता को जबरन बेदखल की कोशिश की है।

यह डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 2400/2013 में और डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 1271/2018 और डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 6248/2017 में पारित आदेश के संबंध में यह एक मुद्दा नहीं था, जो याचिकाकर्ता को रिट याचिका को वापस लेने के लिए अनुमति देने वाला आदेश है। सी0एम0पी0 सं0 356/2019 पोषणीय नहीं है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया गया है।

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)